

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 08.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मददेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मददेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-45 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश निषाद पुत्र छट्टू नि० गोहणी पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-294/20, 02. जयचन्द्र निषाद पुत्र चिरकू नि० बास गॉव वरुवा मांझा थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-296/20, 03. राम सेवक तिवारी पुत्र स्व० छैल बिहारी तिवारी नि० डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-297/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कमला देवी पत्नी दुखराम नि० कोमरे गढ़ी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-302/20, 02. राधेश्याम पुत्र श्रीराम कोरी नि० मधवापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-303/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विनोद कुमार यादव पुत्र भगोले यादव नि० शुकुलगंज चॉदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-319/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शाह मोहम्मद पुत्र समीम नि० आदमपुर थाना जरवलरोड जनपद बहराइच के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-416/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अशर्फी पुत्र बाबू नि० पेरी पोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-379/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजू निषाद पुत्र स्व० लालमन नि० भौरामल थाना चिलुवा ताल जनपद गोरखपुर, 02. संतराम पुत्र सतई नि० मंशापुरी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—768/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 03. श्रीमती माया देवी पत्नी केशव राम नि० करिया गोसाईं जानकी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—769/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अश्लील हलकत करने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया पुलिस ने अश्लील हरकत करने के 02 आरोपी अभियुक्तों—01. अरशद पुत्र वसीम अहमद, 02. आदित्य पुत्र देवीप्रसाद नि० आर्यनगर छितौनी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु०अ०सं०—178/20, धारा 294.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 04.10.2020 को थाना कौड़िया क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को देखकर अश्लील हरकत कर रहे थे। महिला द्वारा विरोध करने पर अभियुक्तगणों द्वारा गाली—गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके सम्बन्ध में महिला द्वारा थाना कौड़िया पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कौड़िया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर आर्यनगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

बलवा व जानलेवा हमला करने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना को० मनकापुर पुलिस ने बलवा व जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों—01. आदित्य प्रताप सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह नि० बसवारी मौजा जिगना थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना मनकापुर में पंजीकृत मु०अ०सं०—351/20, धारा 147.148.323.324. 506.307.188 भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 17.09.2020 को वादी विजय सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह नि० बसवारी मौजा जिगना थाना मनकापुर जनपद गोण्डा व उसके परिवारजनों को नाली के विवाद के चलते बलवा करते हुए मारा—पीटा था तथा वादी के माँ के ऊपर जान से मारने की नियत से फावड़ा से वार कर दिया था। जिससे वादी की माँ गम्भीर रूप से घायल हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मनकापुर पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।